



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 127392

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 19881 वर्ष 2026**

विपिन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अमरेंद्र मणि, मोहन लाल शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 45**

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह**

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं।
2. यह ज़मानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 67/2026 (धारा 309(2), 352, 115(2), 317(2) बीएनएस, थाना आवागढ़, ज़िला एटा) में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। बस संख्या यूपी 78 जेटी 0801 के कंडक्टर (जो पीड़ित भी है) द्वारा दर्ज कराई गई FIR

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



में आवेदक का नाम नहीं है। जांच के दौरान, पीड़ित ने आवेदक का नाम आरोपी के तौर पर नहीं लिया। अभियोजन पक्ष ने आवेदक को कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई शिनाख्त परेड नहीं कराई। पीड़ित/शिकायतकर्ता और बस ड्राइवर मुन्ना लाल की 27.3.2026 को मेडिकल जांच की गई। उन्हें लगी चोटें मामूली थीं। मुन्ना लाल के शरीर पर दर्द के अलावा कोई बाहरी चोट नहीं दिखी। पीड़ित/शिकायतकर्ता के कान के बाहरी हिस्से (पिनना) के ठीक दाईं ओर चोट का एक निशान था और दूसरी चोट बाएं हाथ के अग्रभाग के अंदरूनी हिस्से में दर्द की शिकायत थी। जांच के दौरान 28.3.2026 को गवाहों जसवंत, प्रवीण आदि ने आवेदक का नाम लिया। पुलिस ने आरोपी को कथित अपराध से जोड़ने के लिए ₹1190 की झूठी बरामदगी और एक चाबी दिखाई। इस अपराध की सुनवाई केवल मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस मामले में चार्ज-शीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोपी के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आरोपी 29.3.2026 से जेल में बंद है और अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की आवेदन का विरोध किया और कहा कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. इस मामले में जिस अपराध का जिक्र है, उसके लिए मौत की सज़ा या उम्रकैद की सज़ा का प्रावधान नहीं है। इस मामले में चार्ज-शीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। इस अपराध की सुनवाई मजिस्ट्रेट की न्यायालय में हो सकती है।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



7. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों, आवेदक द्वारा काटी गई सज़ा की अवधि, कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है कि आवेदक ज़मानत पाने का हकदार है।

8. तदनुसार, ज़मानत आवेदन **मंज़ूर** की जाती है।

9. ऊपर बताए गए मामले/अपराध में शामिल आवेदक-**विपिन** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत संबंध और दो ज़मानतदार पेश करे और नीचे दी गई शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकती है।

(iii) अगर आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है और उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



उद्घोषणा जारी की जाती है, और अगर आवेदक उस उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा:

(1) मुकदमा शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 / बी.एन.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को जमानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

**16 जून, 2026**

ललित शुक्ला

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*